

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## कुतुब गोल्फ कोर्स

प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली - 110017

एफ3 (74)/क्यूजीसी/डीडीए/2023-24/245

दिनांक: 06/03/2024

### कोटेशन आमंत्रण ऑनलाइन नोटिस संखा 02

कुतुब गोल्फ कोर्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-1' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-2' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वे एजेंसियाँ/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य पूरा किया है, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का 40% से कम नहीं है, या दो पूर्ण किए गए कार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 60% से कम नहीं है। पिछले सात वर्षों के दौरान निविदा में डाली गई अनुमानित लागत, या एक पूर्ण कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत का 80% से कम न हो, सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमानित लागत का 30% से अधिक वार्षिक कारोबार के साथ निविदा में रखा गया हो। मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों में वैध यूडीआईएन रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन करने के हकदार हैं। इसका एक प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)" है।

### विशिष्ट कार्य

**अब:-कुतुब गोल्फ कोर्स का रखरखाव, डीडीए।**

**एस.एच.: क्यूजीसी में न्यू क्लब हाउस बिल्डिंग की छत के विभिन्न स्थानों पर विविध मरम्मत कार्य।**

**अनुमानित लागत: रु. 86,023/-**

**बयाना राशि: 5,000/-**

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	इकाई
1.	प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार बाहरी आधार, श्रम शुल्क आदि के साथ मधुबनी पेंटिंग (लोक कला) पूर्ण।	17.36	Sqm
2.	2.5 वर्ग मीटर और उससे कम क्षेत्र के पैच में 12 मिमी से 20 मिमी मोटाई के प्लास्टर की मरम्मत, जिसमें पैच को उचित आकार में काटना, जोड़ों को बाहर निकालना और दीवारों की सतह को तैयार करना और प्लास्टर करना शामिल है, जिसमें डंपिंग के लिए कूड़े का निपटान भी शामिल है। ग्राउंड, प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार सभी कार्य पूर्ण। एक। सीमेंट मोर्टार 1:4 के साथ (1सीमेंट: 4 मोटी रेत)	24.15	Sqm.

3.	सतह को समतल और चिकनी बनाने के लिए प्लास्टर की गई सतह पर 2 मिमी मोटाई का प्लास्टर ऑफ पेरिस पुट्टी उपलब्ध कराना और लगाना	63.31	Sqm.
4.	निर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार प्राइमर का उपयोग करके अंदरूनी और बाहरी हिस्सों के लिए डीलक्स मल्टी सरफेस पेंट सिस्टम के साथ फिनिशिंग। (ए) 1.25 लीटर/10 वर्गमीटर की दर से दीवारों पर दो या दो से अधिक कोट लगाए जाते हैं और इसमें 0.75 लीटर/10 वर्गमीटर की दर से लगाए गए विशेष प्राइमर का एक कोट भी शामिल है।	63.31	Sqm.

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) पर 13.03.2024 (03:00 अपराह्न) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं। ) (बिक्री की अंतिम तिथि) और तकनीकी बोली का उद्घाटन 14.03.2024 (3.30 अपराह्न) को होगा। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ कोटेशनकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा।

“सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ पंजीकृत एजेंसियों/फर्मों को ईएमडी जमा से छूट दी जाएगी। यह छूट एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में बढ़ाई जाएगी। हालाँकि, ऐसी छूटों का लाभ उठाने के लिए, एजेंसियों/फर्मों द्वारा पंजीकरण का एक वैध प्रमाण पत्र ई-निविदा पोर्टल पर दिया/अपलोड किया जाएगा।

### **तकनीकी बोली (पहला कवर)**

तकनीकी बोली में कोटेशनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

1. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की वैध पंजीकरण प्रति।
2. पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी
3. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
4. किसी भी सरकार में समान कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। संगठन/पीएसयू डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड के पास जमा अपेक्षित शुल्क के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
5. मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्ष के टर्नओवर की स्कैन की गई प्रतिलिपि, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।

### **नियम एवं शर्तें:-**

1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होनी चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान आरई/सचिव/क्यूजीसी, डीडीए की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
5. आपूर्ति/कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
6. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो कार्य घटिया पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार आयुक्त (खेल) के पास सुरक्षित है।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ की जाएंगी।
11. निविदा राशि से 10% सुरक्षा जमा राशि की कटौती की जायेगी।
12. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
13. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
15. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई धूमिल प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
16. किसी भी व्यक्ति, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, को किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटार्नी हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी वर्जित करने के लिए उत्तरदायी है।
17. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
18. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
19. यदि संपूर्ण कार्य कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/क्यूजीसी का पूर्ण विवेक होगा कि वह मद के कार्य को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करे जैसा सचिव उचित और उचित समझे या आपूर्ति रद्द कर दे। कार्य आदेश/कार्य के विरुद्ध किसी भी भुगतान को रोकने/बयान राशि जब्त करने या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
20. कार्य सम्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि साइट/आसपास पर कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
21. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयान राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक उसके इरादे

में जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को ऐसा करना होगा। भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।

23. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।

24. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

--sd--

रेजिडेंट इंजीनियर/क्यूजीसी/डीडीए